समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)

व्यवहार वाद क्रं. 03 बी./2015 — निर्णित दिनांक 07.09.2021

के प्रकरण मे

मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग
द्वारा प्रोपराईटर मनिन्दर सिंग सलूजा,
वल्द सुरजीत सिंग सलूजा
निवासी– बलौदाबाजार रोड,
ग्राम– सड्डू तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) ---- डिक्रीधारी/वादी

विरूद्ध

1. छ.ग. शासन
   द्वारा कलेक्टर गरियाबंद
   जिला गरियाबंद (छ.ग.)
2. वन मंडलाधिकारी
   वन मंडल गरियाबंद
   जिला गरियाबंद (छ.ग.)
3. उदंती वन मंडलाधिकारी
   गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) ---- निर्णित्रऋणीगण /प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 10 सहपठित नियम 11 (2)व्य.प्र.स.

डिक्रीधारी/वादी मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 03 बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) मे दिनांक 07.09.2021 को डिक्रीधारी/वादी के पक्ष मे तथा निर्णितऋणि/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 के विरूद्ध कुल रू. 19,95,088/– मय संपूर्ण वाद व्यय एवं आज्ञप्ति दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किये जाने की आज्ञप्ति पारित की गई है।
2. यह कि, डिक्रीधारी/वादी द्वारा निर्णित ऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 को द्वारा उपरोक्त आज्ञप्ति के परिपालन हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद निर्णित ऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 द्वारा उपरोक्त आज्ञप्ति अंतर्गत देय रकम का भुगतान उक्त डिक्रीधारी/वादी को आज दिनांक नही किया गया है इसलिए यह निष्पादन आवेदन प्रस्तुत है जिसकी विशिष्ठियाँ निम्नानुसार है –

क.	व्यवहार वाद क्रमांक	–	03 बी/2015
ख.	पक्षकारो के नाम	–	मेसर्स एस. एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य
ग.	आज्ञप्ति की तारीख	–	07.09.2021
घ.	क्या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील की गई	–	नहीं

Scanned with OKEN Scanner

ड. क्या डिक्री के पश्चात्
पक्षकारो के बीच कोई
समायोजन हुआ है — नहीं

च. डिक्री के निष्पादन पहले
कोई आवेदन — नहीं

छ. डिक्री अंतर्गत शोध्य रकम — आज्ञप्ति अनुसार

1. आज्ञप्त राशि रू. 19,95,088/—
2. ब्याज कुल रू. 7,98,035/—
3. वाद व्यय रू. 1,19,743/—
कुल रू. 29,12,866/—

ज. अधिनिर्णित खर्चो की
(यदि कोई) — निरंक

घ. उस व्यक्ति का नाम जिसके
विरूद्ध डिक्री का निष्पादन
चाहा गया हो — 1. छ.ग. शासन
द्वारा कलेक्टर गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)
2. वन मंडलाधिकारी
वन मंडल गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)
3. उदंती वन मंडलाधिकारी
गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.)

घ. वह ढंग जिसके न्यायालय की
सहायता अपेक्षित है — चल—अचल संपत्ति की कुर्की और
विक्रय द्वारा रकम वूसली।

3. यह कि, डिक्रीधारी/वादी द्वारा निर्णितऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 की चल—अचल संपत्ति की कुर्की द्वारा ही वसूल हेतु इस आवेदन पत्र के साथ पृथक से सूची प्रस्तुत की जा रही है।

अतः प्रार्थना है कि इस डिक्रीधारी/वादी को निर्णितऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 की चल—अचल संपत्ति की कुर्की द्वारा वूसल कर दिलवाई जावे।

गरियाबंद
दिनांक

डिक्रीधारी/वादी

अधिवक्ता वास्ते डिक्रीधारी/वादी

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)

मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग ---- डिक्रीधारी/वादी

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन व अन्य ---- निर्णित्रऋणीगण/प्रतिवादीगण

चल संपत्ति की सूची

डिक्रीधारी/वादी निम्न चल संपत्ति की सूची प्रस्तुत करता है –

1. मौके पर उपलब्ध सभी टेबल व कुर्सीयां
2. मौके पर मौजूद कम्प्युटर
3. मौके पर उपलब्ध सभी अलमारी
4. मौके पर मौजूद वाहन
5. मौके पर मौजूद अन्य चल संपत्ति
6. मौके पर मौजूद नगद रकम

डिक्रीधारी/वादी

अधिवाक्ता वास्ते डिक्रीधारी/वादी

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)

व्यवहार वाद क्रं. 04 बी./2015 निर्णित दिनांक 07.09.2021

के प्रकरण मे

मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग
द्वारा प्रोपराईटर मनिन्दर सिंग सलूजा,
वल्द सुरजीत सिंग सलूजा
निवासी– बलौदाबाजार रोड,
ग्राम– सड्डू तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) ———— डिक्रीधारी/वादी

विरूद्ध

1. छ.ग. शासन
   द्वारा कलेक्टर गरियाबंद
   जिला गरियाबंद (छ.ग.)
2. वन मंडलाधिकारी
   वन मंडल गरियाबंद
   जिला गरियाबंद (छ.ग.)
3. उदंती वन मंडलाधिकारी
   गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.) ———— निर्णितऋणीगण /प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 10 सहपठित नियम 11 (2)व्य.प्र.स.

डिक्रीधारी/वादी मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 04 बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) मे दिनांक 07.09.2021 को डिक्रीधारी/वादी के पक्ष मे तथा निर्णितऋणि/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 के विरूद्ध कुल रू. 3,21,758/– मय संपूर्ण वाद व्यय एवं आज्ञप्ति दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किये जाने की आज्ञप्ति पारित की गई है।
2. यह कि, डिक्रीधारी/वादी द्वारा निर्णित ऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 को द्वारा उपरोक्त आज्ञप्ति के परिपालन हेतु सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद निर्णित ऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 द्वारा उपरोक्त आज्ञप्ति अंतर्गत देय रकम का भुगतान उक्त डिक्रीधारी/वादी को आज दिनांक नही किया गया है इसलिए यह निष्पादन आवेदन प्रस्तुत है जिसकी विशिष्ठियाँ निम्नानुसार है –

क.	व्यवहार वाद क्रमांक	–	04 बी/2015
ख.	पक्षकारो के नाम	–	मेसर्स एस. एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य
ग.	आज्ञप्ति की तारीख	–	07.09.2021
घ.	क्या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील की गई	–	नहीं

Scanned with OKEN Scanner

ड. क्या डिक्री के पश्चात् पक्षकारो के बीच कोई समायोजन हुआ है — नहीं

च. डिक्री के निष्पादन पहले कोई आवेदन — नहीं

छ. डिक्री अंतर्गत शोध्य रकम — आज्ञप्ति अनुसार

1. आज्ञप्त राशि रू.	3,21,758/—
2. ब्याज कुल रू.	1,28,703/—
3. वाद व्यय रू.	38,491/—
कुल रू.	4,88,952/—

ज. अधिनिर्णित खर्चो की (यदि कोई) — निरंक

घ. उस व्यक्ति का नाम जिसके विरूद्ध डिक्री का निष्पादन चाहा गया हो —

1. छ.ग. शासन
द्वारा कलेक्टर गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)
2. वन मंडलाधिकारी
वन मंडल गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)
3. उदंती वन मंडलाधिकारी
गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग.)

घ. वह ढंग जिसके न्यायालय की सहायता अपेक्षित है — चल—अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम वूसली।

3. यह कि, डिक्रीधारी/वादी द्वारा निर्णितऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 की चल—अचल संपत्ति की कुर्की द्वारा ही वसूल हेतु इस आवेदन पत्र के साथ पृथक से सूची प्रस्तुत की जा रही है।

अतः प्रार्थना है कि इस डिक्रीधारी/वादी को निर्णितऋणी/प्रतिवादीगण क्रं. 01 से 03 की चल—अचल संपत्ति की कुर्की द्वारा वूसल कर दिलवाई जावे।

गरियाबंद

दिनांक

डिक्रीधारी/वादी

अधिवक्ता वास्ते डिक्रीधारी/वादी

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गरियाबंद (छ.ग.)

मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग ----- डिक्रीधारी/वादी

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन व अन्य ----- निर्णित्ऋणीगण/प्रतिवादीगण

चल संपत्ति की सूची

डिक्रीधारी/वादी निम्न चल संपत्ति की सूची प्रस्तुत करता है –

1. मौके पर उपलब्ध सभी टेबल व कुर्सीयां
2. मौके पर मौजूद कम्प्युटर
3. मौके पर उपलब्ध सभी अलमारी
4. मौके पर मौजूद वाहन
5. मौके पर मौजूद अन्य चल संपत्ति
6. मौके पर मौजूद नगद रकम

डिक्रीधारी/वादी

अधिवाक्ता वास्ते डिक्रीधारी/वादी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 4109 / कले. / विधि / 74 / 2021 गरियाबंद, दिनांक 23 / 11 / 2021

प्रति,

01 / – वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल गरियाबंद, जिला गरियाबंद

02 / – उदंती वनमण्डलाधिकारी,
गरियाबंद, जिला– गरियाबंद (छ०ग०)

विषय:– व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 3बी / 2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छ०ग० शासन व अन्य) एवं 4बी / 2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छ०ग० शासन व अन्य) में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति की सूचना एवं परिपालन हेतु।

संदर्भ:– शिशिर भण्डारकर अधिवक्ता, एच.नंबर 31 / 596 स्ट्रीट नंबर 02, न्यू शांति नगर रायपुर (छ०ग०) का पत्र दिनांक 28.10.2021

—00—

विषयांकित एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। शिशिर भण्डारकर अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद (छ०ग०) के व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 3बी / 2015 एवं 04बी / 2015 दोनों संस्थित दिनांक 16.04.2021 दोनों में पक्षकार मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग द्वारा प्रोपाईटर मनिंदर सिंग सलूजा वल्द सुरजित सिंग सलूजा निवासी– दलौदाबाजार रोड, ग्राम– सड्डू तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०) विरूद्ध (01) छ०ग० शासन द्वारा कलेक्टर गरियाबंद (02) वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल गरियाबंद (03) उदंती वन मण्डलाधिकारी गरियाबंद, जिला– गरियाबंद (छ०ग०) में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पारित आज्ञप्ति की मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

01 / – वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 से क्रमशः बकाया राशि 1995088 / – रूपये एवं 321758 / – रूपये संयुक्त अथवा पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है।

02 / – वादी वाद प्रस्तुत दिनांक से बकाया राशि 1995088 / – रूपये एवं 321758 / – रूपये पर उसकी अदायगी तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

03 / – प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

04 / – अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी कम हो, देय होगा।

अतएव उपरोक्त दोनों प्रकरण में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रति आपकी ओर प्रेषित है, तदनुसार परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

23/11/2021
अपर कलेक्टर
जिला–गरियाबंद (छ०ग०)

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
प्रतिलिपि अनुभाग
गरियाबंद (छ.ग.)

न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद (छ0ग0)

(पीठासीन अधिकारी–अगम कुमार कश्यप)

व्यवहार वाद क्रमांक– 04बी/2015

संस्थित दिनांक– 16/04/2015

CNR : CGRP04-000012-2015

मेसर्स एस0एस0 लोहारी उद्योग

द्वारा प्रोपाईटर मनिंदर सिंग सलूजा

वल्द सुरजीत सिंग सलूजा

निवासी–बलौदाबाजार रोड,

ग्राम–सड्डू, तह. व जिला– रायपुर (छ0ग0) ——————वादी

:: वि–रू–द्ध ::

(1) छ0ग0 शासन

द्वारा कलेक्टर गरियाबंद

जिला– गरियाबंद (छ0ग0)

(2) वन मंडलाधिकारी

वन मंडल गरियाबंद

जिला– गरियाबंद (छ0ग0)

(3) उदंती वन मंडलाधिकारी

गरियाबंद जिला– गरियाबंद (छ0ग0) ——————प्रतिवादीगण

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर से श्री रामेश्वर निर्मलकर, अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

:: नि – र्ण – य ::

(दिनांक 07/09/2021 को घोषित)

01– वादी के द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी कमांक 1 से 3 के विरूद्ध बकाया राशि 3,21,758/–रूपये के वसूली हेतु प्रस्तुत की गयी है।

02अ– वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एक प्रोपराईटरशीप फर्म है तथा प्रोपराईटर श्री मनिन्दर सिंह सलूजा के माध्यम से अपने व्यवसाय का संचालन करता है। प्रतिवादी कमांक 3 तात्कालीन उंदती वन मंडल गरियाबंद जो कि अब प्रतिवादी कमांक 2 गरियाबंद वन मंडल है, के वनमंडलाधिकारी गरियाबंद के द्वारा वादी को दिये गये कय आदेश दिनांक 25/03/2011 के अंतर्गत वादी से 15,050 कि.ग्रा. बार्बेड वायर कीमत 821730/–रूपये कय किया गया था, जिसकी कीमत के एवज में दिनांक 09/01/2012 तक कुल 9157 कि.ग्रा. बार्बेड वायर कीमत 499972/–रूपये अदा की गयी थी, एव शेष 5893 कि.ग्रा. बार्बेड वायर की कीमत 321758/–रूपये का कम भुगतान किया गया है, जो बकाया है।

Scanned with OKEN Scanner

02ब– वादी की ओर से प्रतिवादीगण से उपरोक्त बकाया राशि 321758/–रूपये की भुगतान के संबंध में कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया गया है तथा दिनांक 29/04/2014 को पत्र के माध्यम से भी उक्त राशि की मांग की गयी है, परंतु प्रतिवादी कमांक 2 एवं 3 के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नही किये जाने पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20/12/2014 को पंजीकृत डाक द्वारा मांग सूचना पत्र प्रेषित कर बकाया राशि की मांग की गयी थी, जिस पर प्रतिवादी के द्वारा वादी को सूचना पत्र का जवाब प्रेषित करते हुये उक्त बकाया राशि शेष होना स्वीकार कर शेष राशि का भुगतान कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया परंतु नोटिस के जवाब के लगभग ढाई माह व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रतिवादी के द्वारा वादी को उपरोक्त बकाया रकम 321758/–रूपये का भुगतान आज तक नही किया गया है।

02स– वादी को वादकारण प्रतिवादी कमांक 2 एवं 3 के द्वारा वादी के सूचना पत्र के उत्तर में प्रेषित जवाब दिनांक 12/01/2015 में शेष रकम का शीघ्र ही भुगतान कर देने के लिखित आश्वासन के बाद भी देय रकम का भुगतान नही किये जाने एवं वादी द्वारा प्रेषित मांग सूचना पत्र के पश्चात् दो माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर दिनांक 20/02/2015 तक बकाया राशि का भुगतान नही किये जाने से वाद कारण उत्पन्न होना व्यक्त कर न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं न्याय शुल्क संबंधी आवश्यक अभिवचन करते हुये प्रतिवादीगण से 321758/–रूपये दिनांक 09/01/2012 से

2 रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED
Scanned with OKEN Scanner

उसकी अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वादी को दिलायी जाने की अनुतोष चाही गयी है।

03– प्रतिवादी वनमंडलाधिकारी गरियाबंद की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाबदावा पेश कर वादी के इस दावे से इंकार किया गया है कि 321758/–रूपये का भुगतान प्रतिवादी द्वारा वादी को नही किया गया है। प्रतिवादी वन मंडलाधिकारी गरियाबंद के द्वारा अपने जवाबदावा में अतिरिक्त कथन के रूप में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जो सामग्री क्रय की जाती है उसका भुगतान शासन से राशि प्राप्त होने पर संबंधित फर्म को किया जाता है। प्रतिवादी के द्वारा वादी द्वारा मांग की गयी राशि के बारे में शासन को पत्र लिखा जा चुका है जो प्राप्त नही हुआ है परंतु इसके बाद भी वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जो औचित्यहीन है। शासन के द्वारा राशि प्रदाय नही किये जाने से वादी को भुगतान नही किया गया है। वाद में पक्षकारों का असंयोजन हैं। अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

04– प्रतिवादी कंमाक 01 छ0ग0 शासन तथा प्रतिवादी कंमाक 03 उंदती वनमंडल के द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया है तथा एकपक्षीय हो गये है।

Scanned with OKEN Scanner

05– उभयपक्ष के अभिवचन के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए गए हैं, जिनके सम्मुख विवेचना उपरांत मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:–

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादी ने वादी से क्रय आदेश दिनांक से क्रय किए गए 15050 किलोग्राम बार्बेड वायर क्रय किया, जिसका शेष रकम 3,21,758/–रूपये प्रतिवादी से लेना बकाया है?	"प्रमाणित"
2.	क्या वादी, प्रतिवादी से उक्त बकाया रकम 3,21,758/–रूपये मय ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है?	"प्रमाणित"
3.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 11 के अनुसार

–:निष्कर्ष के आधार:–

–:वाद प्रश्न क्रमांक– 01 से 02 पर सकारण निष्कर्ष:–

06– उक्त वाद प्रश्न एक–दूसरे से अंतःसंबंधित होने के कारण एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। उक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में अपने अभिवचन के

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
Scanned with OKEN Scanner

अनुरूप बताया गया है कि प्रतिवादी गरियाबंद वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बारूका में सड़क किनारे वृक्षारोपण किये जाने हेतु, वादी को दिये गये कय आदेश के अंतर्गत वादी से प्रतिवादी के द्वारा वार्बेड वायर, कीमत 821730/–रूपये कय किया गया था। प्रतिवादी द्वारा समय–समय पर दिनांक 09/01/2012 तक की अवधि में कुल 9157 कि.ग्रा. बार्बेड वायर की 499972/–रूपये की अदायगी की गयी थी परंतु 5893 कि.ग्रा. बार्बेड वायर कीमत 321758/–रूपये का भुगतान नही किया गया है।

07– वादी द्वारा 321758/–रूपये की भुगतान के संबंध में कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया गया है तथा दिनांक 29/04/2014 को पत्र के माध्यम से भी उक्त राशि की मांग की गयी है। परंतु प्रतिवादी कमांक 2 एवं 3 के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नही किये जाने पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मांग सूचना प्रेषित कर बकाया राशि की मांग की गयी थी। प्रतिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से वादी को उक्त मांग सूचना पत्र का दिनांक 12/01/2015 को उत्तर प्रेषित करते हुए बार्बेड वायर की कीमत 321758/–रूपये का भुगतान किया जाना शेष होना स्वीकार कर वादी को आश्वस्त किया गया था कि उक्त शेष राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा, परंतु उपरोक्त मांग सूचना पत्र के दो माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा बकाया रकम 321758/–रूपये का भुगतान वादी को नही किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

08– वादी के द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में वनमंडलाधिकारी गरियाबंद को वादी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29/04/2014 की मूल प्रति प्र0पी0–01, वनमंडलाधिकारी गरियाबंद को वादी के अधिवक्ता श्री आदित्य झा द्वारा प्रेषित नोटिस प्र0पी0–02, डाक रसीद की मूल प्रति प्र0पी0–03, वनमंडलाधिकारी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री शिवदयाल साहू द्वारा वादी को प्रेषित जवाब प्र0पी0–04, वनमंडलाधिकारी उंदती वनमंडल गरियाबंद द्वारा वादी को जारी बार्बेड वायर से संबंधित कय आदेश की मूल प्रति प्र0पी0–05 पेश किया है।

09– प्रतिवादीगण के एक पक्षीय होने से वादी के उक्त साक्ष्य का खंडन नही हो पाया है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में गरियाबंद वनमंडल द्वारा बारूका क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु वादी के फर्म से 15050 कि.ग्रा. बार्बेड वायर कय किया जाना बताया गया हैं। वादी के साक्ष्य की पुष्टि वादी की ओर से प्रतिवादी वनमंडलाधिकारी वनमंडल गरियाबंद को प्रेषित मांग सूचना प्र0पी0–02 के जवाब में वनमंडलाधिकारी की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री शिवदयाल साहू के द्वारा वादी को प्रेषित जवाब प्र0पी0–04 के परिशीलन से होती है, जिसमें प्रतिवादी वनमंडलाधिकारी गरियाबंद के द्वारा वादी से बार्बेड वायर कय किये जाने के एवज में 321758/–रूपये बकाया होना उल्लेखित है तथा शासन से उक्त राशि प्राप्त होने पर वादी को भुगतान कर दिये जाने का उल्लेख है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned with OKEN Scanner

प्र0पी0–05 के परिशीलन से भी वादी से प्रतिवादी कमांक 03 उंदती वनमंडल गरियाबंद के द्वारा बार्बेड वायर कय किया जाना दर्शित है। प्रतिवादीगण के एकपक्षीय हो जाने से वादी के साक्ष्य एवं उपरोक्त दस्तावेजों का कोई खंडन भी नही हुआ है। वस्तुतः प्रतिवादी कमांक 02 की ओर से वादी को प्रेषित मांग सूचना पत्र के जवाब के परिशीलन से वादी के दावे को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार कर लिया जाना दर्शित है एवं शासन से राशि प्राप्त न होने के कारण वादी को उक्त राशि का भुगतान नही किया जा पाना उक्त दस्तावेज प्र0पी0–04 के परिशीलन से दर्शित है।

एवं सत्र प्रतिलिपि अनुभाग गरियाबंद

10– इस प्रकार वादी के साक्ष्य एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन से यह दर्शित है कि वादी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी उंदती वनमंडल गरियाबंद के द्वारा वादी के फर्म से प्रतिवादी कमांक 2 गरियाबंद वनमंडल के वन परिक्षेत्र बारूका में सड़क किनारे वृक्षारोपण हेतु बार्बेड वायर कय की गयी थी जिसकी 321758/–रूपये वादी को प्रतिवादीगण की ओर से भुगतान नही किया गया है। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष "प्रमाणित" में दिया जाता है।

–::सहायता एवं वाद व्यय::–

11– अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट है कि वादी, प्रतिवादीगण

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्ध अपना वाद अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की आज्ञप्ति प्रदान की जाती है:–

1– वादी, प्रतिवादी कमांक 1 से 3 से बकाया राशि 321758/–रूपये, (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) संयुक्तः अथवा पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है।

2– वादी वाद प्रस्तुति दिनांक से 321758/–रूपये (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) पर उसकी अदायगी तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

3– प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय भी वहन करेगे।

4– अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी कम हो, देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।
सही / अस्पष्ट
(अगम कुमार कश्यप)
अपर जिला न्यायाधीश
गरियाबंद

मेरे निर्देश पर टंकित।
सही / अस्पष्ट
(अगम कुमार कश्यप)
अपर जिला न्यायाधीश
गरियाबंद

2 रु. Rs.2 COURT FEES INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

सत्य–प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी,
प्रतिलिपि अनभाग,
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

09.09.2021	1. आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख
15.09.2021	2. आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई तारीख
05/10/21	3. आवेदक के उपस्थित होने की तारीख
09.09.2021	4. आवेदन पत्र (और भी एवं सही विवरणों सहित या रहित) अभिलेखागार को भेजने की तारीख
20.09.2021	5. आवेदन पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिए बिना अभिलेख के) प्राप्त करने की तारीख
---	6. आवेदक को और भी तथा सही विवरण देने की सूचना देने की तारीख
—	7. आवेदक को और धन जमा करने की सूचना देने की तारीख
—	8. स्तंभ (6) या (7) की सूचना की तारीख
05/10/21	9. प्रतिलिपि तैयार की तारीख
05/10/21	10. प्रतिलिपि देने या भेजने की तारीख
18=00	11. वसूल की गई न्याय शुल्क

प्रतिलिपिकार

मिलान कर्ता

सत्य-प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी,
प्रतिलिपि अनुभाग,
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
गरियाबंद (छ.ग.)

अपर जिला एवं सत्र ... प्रतिलिपि अनुभाग ... गरियाबंद (छ.ग.)

II-301
C.J.(E)

SIMPLE MONEY DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Section 34)
Civil Suit No. 04-B OF 2015

IN THE COURT OF अगम कुमार कश्यप, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गरियाबंद छ.ग.

मेसर्स एस. एस. लोहारी उद्योग
द्वारा प्रोपाईटर मनिंदर सिंग सलूजा
वल्द सुरजीत सिंग सलूजा
निवासी बलौदा बाजार रोड,
ग्राम सड्डू, तहसील व जिला रायपुर छ.ग. ....Plaintiff

–: विरूद्ध :–

1– छ. ग. शासन
द्वारा कलेक्टर गरियाबंद
जिला गरियाबंद छ.ग.
2– वन मंडलाधिकारी
वन मंडल गरियाबंद
जिला गरियाबंद छ.ग.
3– उदंती वन मंडलाधिकारी
गरियाबंद, जिला गरियाबंद छ.ग. ....Defendent

Claim for **रूपये 3,21,758/–(तीन लाख, इक्कीस हजार, सात सौ, अन्ठावन रूपये) की वसूली बाबत्।**

This suit coming on this day for final disposal before me in the Prensence of (for the plaintiff) Shri रामेश्वर निर्मलकर, अधिवक्ता।
(for the defendent No. 1, 2, 3) Shri पूर्व से एकपक्षीय।

It is ordered and decreed that the वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध अपना वाद अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की आज्ञप्ति प्रदान की जाती है :–

1– वादी, प्रतिवादी कमांक–1 से 3 से बकाया राशि 3,21,758/– रूपये (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) संयुक्तः अथवा पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है।

2– वादी वाद प्रस्तुति दिनांक से बकाया राशि 3,21,758/– रूपये (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) पर उसकी अदायगी तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

3– प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

4– अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी कम हो, देय होगा।

सही/अस्पष्ट
(अगम कुमार कश्यप)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
गरियाबंद छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
प्रतिलिपि अनुभाग
गरियाबंद (छ.ग.)

COST OF SUITS

Plaintiff			Defendent	
		Rs. P.		Rs. P.
1	Stamp for plaint	38,411—00	Stamp for powers	05—00
2	Stamp for application & affidavit	60—00	Stamp for exhibits	—
3	Stamp for powers	05—00	Stamp for petitions	—
4	Stamp for exhibits	—	Pleader's fee on Rs. पेश नहीं	—
5	Pleader's fee on Rs. पेश नहीं	—	Subsistance or witnesses	—
6	Subsistance or witnesses	—	Commisioner's fee	—
7	Commisioner's fee	—	Service of process	—
8	Service of process	15—00	Stamp for application & affidavit	—
	Total ..	38,491—00	Total ..	05—00

(अड़तीस हजार चार सौ इक्यानबे रूपये मात्र)　　　(पांच रूपये मात्र)

सही / अस्पष्ट
(अगम कुमार कश्यप)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
गरियाबंद छ.ग.

सत्य—प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी,
प्रतिलिपि अनुभाग,
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
गरियाबंद (छ.ग.)

1. आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	09.09.2021
2. आवेदक को उपस्थिति हेतु दी गई तारीख	15.09.2021
3. आवेदक के उपस्थित होने की तारीख	07/10/21
4. आवेदन पत्र (और भी एवं सही विवरणों सहित या रहित) अभिलेखागार को भेजने की तारीख	09.09.2021
5. आवेदन पत्र के अभिलेखागार से (अभिलेख के साथ या और भी या सही विवरणों के लिए बिना अभिलेख के) प्राप्त करने की तारीख	20.09.2021
6. आवेदक की और भी तथा सही विवरण देने की सूचना देने की तारीख	---
7. आवेदक ... और धन जमा करने की सूचना देने की तारीख	—
8. स्तंभ (6) या (7) की सूचना की तारीख	—
9. प्रतिलिपि तैयार की तारीख	05/10/21
10. प्रतिलिपि देने या भेजने की तारीख	05/10/21
11. वसूल की गई न्याय शुल्क	520

सत्य—प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी,
प्रतिलिपि अनुभाग,
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
गरियाबंद (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

☎ +91-94252-06446
☎ +91-94242-06446
bhandarkarchamber@gmail.com

Shishir Bhandarkar
Manisha Bhandarkar
Advocates

Office: H. No. 31/596, Street No. 02, New Shanti Nagar, Raipur (C.G.) 492007

प्रति,

रायपुर दिनांक 28.10.2021

1. छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा कलेक्टर गरियाबंद,
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

2. वनमण्डलाधिकारी,
वन मण्डल गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

3. उदंती वन मण्डलाधिकारी
गरियाबंद
जिला गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यालय उप निदेशक उदंती क्रमांक दिनांक 29/10/2021

29/10/2021 आवक, लिपिक कार्यालय जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़

महोदय,

विषय :– व्यवहार वाद क्रमांक 3बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) एवं 4बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति की सूचना एवं परिपालन हेतु।

मैं अपने पक्षकार मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग द्वारा प्रोपराईटर मनिन्दर सिंग सलुजा निवासी– बलौदाबाजार रोड ग्राम सड्डू तह. व जिला रायपुर (छ.ग.) से प्रदत्त अधिकारो के अधीन अधिकृत होकर आप नोटिसीगण को सूचित करता हूँ कि –

1. यह कि, उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण क्रमशः क्रमांक 3बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) एवं 4बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) में क्रमशः रू. 19,95,088/– एवं रू. 3,21,758/– की मय ब्याज वसूली हेतु आप नोटिसीगणो के विरूद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद के समक्ष दिनांक 16.04.2015 को प्रस्तुत किये गये थे, जो कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.09.2021 के अंतर्गत स्वीकार करते हुए मेरे पक्षकार के पक्ष में तथा आप नोटिसीगण के विरूद्ध आज्ञप्ति पारित की गई है।
2. यह कि, प्रकरण क्रमांक 3बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) में माननीय अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद द्वारा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की गई है।

(1) वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 से बकाया राशि रू. 19,95,088/– (अक्षरी उन्नीस लाख पंचयान्वे हजार अठ्यासी रूपये) संयुक्तः अथवा पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) वादी वाद प्रस्तुति दिनांक से बकाया राशि रू. 19,95,088/– (अक्षरी उन्नीस लाख पंचयान्वे हजार अठ्यासी रूपये) पर उसकी अदायगी तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(4) अधिवक्ता शुक्ल प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी कम हो, देय होगा।

3. इसी तरह प्रकरण क्रमांक 3बी/2015 (मेसर्स एस.एस. लोहारी उद्योग वि. छत्तीसगढ़ शासन व अन्य) में माननीय अपर जिला न्यायाधीश गरियाबंद द्वारा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की गई है।

(1) वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 से बकाया राशि रू. 3,21,758/– (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) संयुक्तः अथवा पृथकतः प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) वादी वाद प्रस्तुति दिनांक से बकाया राशि रू. 3,21,758/– (अक्षरी तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ अन्ठावन रूपये) पर उसकी अदायगी तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) प्रतिवादीगण, वादी का वाद व्यय वहन करेंगे।

(4) अधिवक्ता शुक्ल प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी कम हो, देय होगा।

4. यह कि, उपरोक्त दोनों प्रकरणों में ब्याज एवं वाद व्यय सहित कुल वसूली योग्य राशि लगभग रू. 33,09,150/– होती है जो कि आप नोटिसीगणों द्वारा संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से मेरे पक्षकार को देय है।

5. यह कि, उपरोक्त दोनों प्रकरणों में निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित हुए लगभग 51 दिवस व्यतित हो चुके है परन्तु आप नोटिसीगण द्वारा उपरोक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति अंतर्गत देय राशि मेरे पक्षकार को आज दिनांक तक भुगतान नही की गई है। इसलिए यह सूचना पत्र प्रेषित कर आप नोटिसीगण को उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरणों में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति की सूचना देते हुए आगाह किया जाता है कि आप नोटिसीगण उपरोक्त आज्ञप्ति अंतर्गत देय सम्पूर्ण उपरोक्त राशि का भुगतान अविलंब मेरे पक्षकार को कर देवे अन्यथा मेरा पक्षकार आप नोटिसीगण के विरूद्ध माननीय अपर जिला न्यायाधीश जिला गरियाबंद के समक्ष निष्पादन आवेदन प्रस्तुत कर आज्ञप्ति अंतर्गत देय राशि की वसूली हेतु चल–अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा सिविल जेल भेजने की कार्यवाही करने विवश होगा जिसके सम्पूर्ण हर्जे–खर्चे एवं परिणाम के जिम्मेदार आप सभी नोटिसीगण होंगे।

तदनुसार सूचना जाने एवं परिपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्त दोनो प्रकरणों में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रति।

भवदीय

Adv. Shishir Bhandarkar
शिशिर भंडारकर
C.G./318/1990/Adv.
अधिवक्ता
Street No. 02, New Shanti Nagar,
Raipur (C.G.)
M.No. +91-94252-06446

Scanned with OKEN Scanner